राजी जनजाति

एक अध्ययन

For Private Circulation Only

A book published by ARPAN— A project funded by DFID & FIND YOUR FEET Bhoomi programme for tribals & implemented by (ARPAN)

UKaid from the Department for International Development

FIND YOUR FEET

ARPAN

The views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the DFID & FIND YOUR FEET

हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी कुछ कहना है....

आमुख

आदिवासी समाज के संघर्षों ने व्यापक समाज को सोचने के लिए नए आयाम दिए हैं। आदिवासी चेतना को समझने के लिए व्यापक और विशिष्ट नजरिया जरूरी है। भूमण्डलीकरण के दौर में इनके राजनैतिक व सामाजिक सरोकारों को या तो खारिज कर दिया जाता है या फिर दरकिनार।

इस पुस्तिका में ऐसी ही जनजाति का उल्लेख है जो जनसंख्या में बहुत कम है और दुर्गम स्थानों में बसी है। यह जनजाति न तो किसी राजनैतिक पार्टी को लुभाती है और न ही सरकारी महकमों की सुलभ व सरल पहुँच के दायरे में है।

परिर्वतन समय की मांग है और एक प्रक्रिया है। तेजी से बदलते समय की मांग पर आदिवासी समाज भी उन्नती की नई राहें तलाश रहा है।

पुस्तिका उन प्रक्रियाओं को विभिन्न रूप से प्रदर्शित करती है, जो विकास की राह खोलते नजर आते हैं। पुस्तिका किए जा रहे प्रयास, परिर्वतन व संर्घष की जीवन्त घटनाओं को संकलित करने की एक छोटी सी कोशिश है। उभर रहे संदेश आदिवासी समाज के जीवन व संवेदनाओं को संवेदनशीलता से समझने व सहयोग प्रदान करने की ओर संकेत करते हैं, जिस से उन का जीवन सरल व सम्मानजनक बनाया जा सके।

आभार :–

अनुभवों को संकलित करने में अर्पण संस्था की टीम – हिमानी, खीमा, करन, किरन, देवकी, पुष्पा व अन्जू ने मुख्य भूमिका निभाई है। पुस्तिका के पहले ड्राफ्ट पर राजी समुदाय के सदस्यों के साथ विमर्श किया गया, परिणाम स्वरूप लेख में नए आयाम जुड़े, जो समुदाय को ठीक नहीं लगे, वे अंश हटाए गये। राजी समुदाय के सदस्यों को कोटी–कोटी धन्यवाद।

प्रदीप व हिमानी के प्रयासों ने पुस्तिका को अन्तिम स्वरूप तक पहुंचाया। मैं 'फाइन्ड योर फीट' का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिसके सहयोग से हम इस पुस्तिका को आप तक पहुंचा पा रहे हैं।

–रेनू ठाकुर

पृष्ठभूमि

उत्तराखण्ड राज्य की एक मात्र आदिम जाति वनराजि या 'राजि' प्राचीन किरातों के वंशज माने जाते हैं। जो हिमालयी क्षेत्र में कोल व खस जातियों के आगमन से पूर्व प्रभावशाली रूप में स्थापित थे। देश की अन्य आदिम जनजातियों यथा– अडमान के ओंगी, जाखा, उड़ीसा के वोंड तथा झारखण्ड के बिराजिया के साथ ही राजि जाति भी विलुप्त होती प्राचीन जातियों में अंकित की गयी है।

दुनिया के सुदूर क्षेत्रों के जो थोड़े बहुत आदिम मानव समूह बचे हैं, वे ही अपने प्राचीनतम धारणाओं से बचे रह गये हैं और मानव द्वारा विकसित नवीन जीवन पद्धतियों से अपना यथासंभव बचाव करते आ रहे हैं। उनमें परिवर्तन के प्रति कोई चाह नहीं होती। इसी प्रकार का एक आदिम मानव समूह राजी, वनराजि या वनरौत नाम से उत्तराखंड के जनपद पिथौरागढ़ एवं चम्पावत में विद्यमान है।

पिथौरागढ़ जिले की डीडीहाट तहसील के अंतर्गत पुराने अस्कोट तालुका के नेपाल से सटे भू–भाग में राजि या वनराजि नाम से एक आदिम मानव समूह निवास करता है। अस्कोट नाम से प्रसिद्ध यह तालुका उत्तराखंड के प्रसिद्ध कत्यूरी शासकों के वंशजों से संबंधित है, जिसकी लगभग 12वीं सदी के उत्तरार्द्ध से ऐतिहासिकता प्रमाणित है। अस्कोट एवं पश्चिमी नेपाल के बीच काली (शारदा) नदी सीमा विभाजक का काम करती है। अस्कोट तालुका की जल धारा भी दो लघु नदियों चर्मा और रौंतिस के बीच का क्षेत्र राजि जनों का विचरण क्षेत्र है। चर्मा लघु नदी काली की सहायक जलधारा है और रौंतिस काली की सहायक गोरी नदी की सहायक नदी है। दोनों लघु नदियों, जिनको कुमाऊँनी बोली में 'गाड़' कहा जाता है। बीच की स्थलीय दूरी 20 किमी. से 35 किमी. से अधिक नहीं है। राजि जन मूलतः इन दोनों लघु नदियों के बीच वाले क्षेत्र में बसे हैं। इनके कुछ परिवार पश्चिमी नेपाल में भी बताये गये हैं। भारतीय क्षेत्र के तहसील डीडीहाट तथा तहसील धारचूला के केवल उन्हीं स्थानों में निवास करते हैं, जो पुराने अस्कोट तालुका के अंतर्गत थे। इसके बाहर जिला चम्पावत के खिरद्धारी तथा तराई भावर के चकरपुर में भी इनके कुछ परिवार प्रवासित हुए हैं। धारचूला तहसील में राजियों के चार गांव– किमखोला, भकतिरूवा, गाणागांव,

चिफलतरा, जबकि डीडीहाट तहसील में कूटा चौरानी, मदनपुरी, कस्यूला, कन्तोली (जमतड़ी), औलतड़ी तथा कुलेख (भागीचौरा) अवस्थित हैं। कुलेख में कुछ वर्ष पहले औलतड़ी से पांच परिवार प्रवासित हुए हैं। चम्पावत जिले के खिरद्वारी तथा खिरद्वारी से कुछ परिवार चकरपुर में प्रवासित हुए हैं। अर्पण के शोध–सर्वेक्षण के आधार पर पिथौरागढ़ के 9 गांवो में कुल 165 राजी परिवार आवासित हैं, जिनकी 2010–2011 में कुल जनसंख्या 632 है। अस्कोट में स्थित अर्पण स्वयं सेवी संस्था, विगत वर्षो से राजी समुदाय के बीच उनके सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर सहयोगी की भूमिका में मौजूद रही है। सर्वप्रथम सन् 1993 में अर्पण की संस्थापिका द्वारा इस जनजाति के दो गांव– किमखोला व गणा गांव का भ्रमण किया गया था।

सन् 1998 में उत्तराखंड सेवा निधि, अल्मोड़ा के सहयोग से ग्राम कंतोली में एक बालवाड़ी संचालित की गई। उस के पश्चात् सन 2001 में विश्व खाद्य परियोजना के सहयोग से कन्तोली गांव में समुदाय के साथ कार्य प्रारम्भ किया गया। सन् 2006 में पाइलट प्रोजेक्ट द्वारा फाइन्ड योर फीट के सहयोग से राजी जनजाति के बीच रणनीतिक हस्तक्षेप द्वारा कार्य करने की शुरूआत हुई। परियोजना का मुख्य लक्ष्य राजी जनजाति हेतु सम्मानजनक व गुणात्मक जीवन प्राप्त करवाना था। 2007 तक समुदाय के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका व मानवाधिकारों के मुद्दों पर कार्य किया गया व सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए 2008 से 2012 तक जनजातियों के सामाजिक व आर्थिक सशक्तीकरण हेतु प्रभावपूर्ण व केन्द्रित हस्तक्षेप की रणनीति बनाई गई। परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के कुमाऊं क्षेत्र की मुख्यतः चार जनजाति समुदायों (राजी, भोटिया, थारू व बुक्शा) को संगठित कर उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना रहा है।

यह पुस्तिका विशेषतः राजी समुदाय की संस्कृति, रहन–सहन व समय के साथ आये परिवर्तनों को 'केस स्टडी' के माध्यम से समेटने की कोशिश है।

किंवदन्तियाँ

पूर्वजों द्वारा सुनाई गयी कहानियों व कुछ राजी समुदाय से हुई बातचीत के अनुसार– वर्षो पुरानी बात है, अस्कोट के राजा के दो पुत्र हुआ करते थे। एक बार जब यह दोनों भाई जंगल में शिकार करने गये थे, तब बड़े भाई द्वारा अनजाने में गौ हत्या हो गई। यह देख उसे इतनी आत्मग्लानि हुई कि वह घने जंगल की ओर निकल गया, जंगलों में ही अपना जीवन यापन करने लगा और इसी के वंशज वनरौत कहलाए।

वनरौत को लेकर एक दूसरी कहानी भी है, जिसके अनुसार दोनों भाइयों को एक घोड़ा मिला। बड़ा भाई बहुत सरल व सीधा था। उसे घोड़े पर चढ़ना नहीं आया और उसने घोड़े पर सवार होने के लिए चढ़ने का साधन खोजने में ही समय व्यतीत कर दिया। जबकि दूसरा भाई घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल गया। अपनी इस असफलता से दुखी होकर बड़े भाई ने आत्महत्या करने की सोची और जब वह नदी मे छलांग लगाने जा रहा था तब उसे एक बेल ने ऐसा करने से रोक दिया। उससे तरूड़ (स्थानीय कन्दमूल फल) बेल ने कहा " तू अपना जीवन मत समाप्त कर और जंगल में रहकर मुझसे मिलने वाले फल को खोद और अपना भरण पोषण कर" इस प्रकार समझाने से वह बेल की बात मान गया तथा जंगल में रह कर अपना भरण पोषण करने लगा। तब से लेकर आज तक वनरौत तरूड़ के फल को हर कार्य में प्रयोग करना शुभ मानते हैं।

सत्यता चाहे जो भी रही हो लेकिन राजी जनजाति में स्वाभिमान, राजसी आन, जंगलो के प्रति लगाव व वनों को कायम रखने का जज्बा आज भी दिखाई पड़ता है।

संस्कृति :

जंगलों से जुड़ाव होने के कारण ये प्रकृति प्रेमी हैं व देवताओं के रूप में प्रकृति को पूजते है। इनमें वृक्ष पूजा व भूमि पूजा अधिक प्रचलित है। पूजा के दौरान पशु बलि (बकरी) भी प्रचलित है। पशु बलि लगभग हर उपलक्ष्य में दी जाति है। यदि कोई बीमार है तब भी देवता को प्रसन्न करने के उद्देश्य से ये पशु बलि देते हैं। विगत कुछ वर्षो से यह लोग हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार त्यौहार मनाने लगे हैं।

भाषा / बोली :

राजी जनजाती की बोली "राजी" का आज भी लिखित स्वरूप नहीं है। इनकी बोली पहाड़ी व हिन्दी से भिन्न है व भौंत कही जाती है। बोली के कुछ शब्द भोटिया बोली से मिलते–जुलते प्रतीत होते हैं। वर्तमान में यह बोली अपना अस्त्तिव खोती जा रही है। आज की पीढ़ी आम बोल–चाल में हिंदी का प्रयोग अधिक करने लगी है, जिस कारण यह बोली विलुप्ति के कगार पर है।

रहन–सहन व पहनावा :

पूर्व में वनरौत गुफाओं व झोपड़ियों मे रहते थे। इनका पहनावा मालू के पत्तों के बने वस्त्र होते थे। दो दशक पूर्व तक यदि इनके परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती, तो वह उस स्थान को छोड़ कर दूसरे स्थान पर चले जाया करते थे। जैसे–जैसे समय बीतता गया, सरकार द्वारा झूमखेती पर प्रतिबन्ध लगाया जाने लगा व इनको एक स्थान पर बसाने की नीति बनी तो अपने स्वभाव के अनुरूप वनरौतों ने सघन जंगलो में रहना पसंद किया।

वर्तमान में कुछ परिवार अभी भी साधारण ढंग की झोपड़ी या मिट्टी–पत्थर के घर बनाकर रहते हैं। अधिकतर परिवार इन्द्रा आवास योजना के तहत बने घरों में रह रहे है। आज महिलाऐं धोती अथवा साड़ी पहनती हैं व पुरूष पेंट या पजामा पहना करते हैं।

खान–पान :

अधिकांशतः यह पाया गया है कि जनजाति मदिरा का प्रयोग करते है पर वनरौत एक ऐसी जनजाति थी जो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करती थी। मछली इनका प्रिय भोजन होता था और आज भी है। जंगली जानवरों का शिकार करना व कन्द मूल फल इनका मुख्य आहार है।

परम्परागत हस्तकला :

अतीत से जंगलों में रहने वाली इस जनजाति के लोग काष्ठ कला में पारंगत होते थे, जिस कारण इस समुदाय के लोग अधिकांश उन्ही जंगलों में अपना बसेरा बनाते थे जहॉ काष्ठ के बर्तनों को बनाने के लिए लकड़ी

(शानन, तुन आदि) उपलब्ध रहती थी। इन बर्तनों को रात में वह अन्य गांव के लोगों के घर के बाहर रख देते थे और उस के बदले वह परिवार उनके लिए अनाज रख दिया करता था।

समय के साथ जब जंगलों का वन माफियों द्वारा अंधाधुन्ध दोहन होने लगा व वन नीति के तहत कड़े नियम कानून लागू किए गए, तो इसका सबसे अधिक प्रभाव वनरौतों पर पड़ा। वनों में रहने वाले लोग वन उपज का उतना ही इस्तेमाल करते थे जितने की जरूरत होती थी व इनका प्रयोग वह इस प्रकार करते थे कि वृक्ष पुनः पनप जाऐं।

अब लकड़ी के समानों का स्थान स्टील, कांच व प्लास्टिक आदि के बर्तनों ने ले लिया है और ये बर्तन केवल शो–पीस ही बनकर रह गये हैं। उपयोगिता कम होने के कारण राजी समुदाय ने इस कार्य को करना भी लगभग समाप्त कर दिया है। काम काफी मेहनत का है व काम के ऐवज में इसका मूल्य बहुत कम मिलता है। इसी कारण इनका रूझान भी इस ओर कम हुआ है।

कृषि एवं पशुपालन :

पूर्व में वनरौत में झूम खेती का प्रचलन था। ये लोग पशुपालन नहीं किया करते थे। जब इन्हें सरकार द्वारा एक स्थान में बसाया गया, तब यह खेती के साथ–साथ पशुपालन भी करने लगे। आज ये लोग धान, मक्का, गेहूँ व स्थानीय दालें बोते हैं तथा पशुओं में बकरी, मुर्गी, गाय व बैल पालते हैं।

विवाह / रीति–रिवाज :

तरूड़ का इनके जीवन में विशेष महत्व है। पूर्व में यदि लड़का व लड़की एक दूसरे को पसन्द कर लेते थे तो अपने माता–पिता के पास तरू ड़ का फल खोद कर ले जाने का रिवाज था व इसे पकाकर साथ में मिलकर खाते थे। इस प्रकार माता–पिता से आज्ञा लेकर दोनों साथ जीवन व्यतीत करते थे।

वर्तमान में समाज से जुड़कर ये अपनी इस विवाह की परम्परा को छोड़ चुके हैं। पहले लड़की को पसन्द किया जाता है। विवाह में वर–पक्ष के कुछ मुख्य लोग कन्या–पक्ष के घर जाते हैं (पंडित को विवाह में नहीं बुलाय ा जाता है)। ऐसा व्यक्ति जो दोनों ही पक्षों को जानता है, आपसी परिचय करवाता है। इसके पश्चात् वर–पक्ष वधू के लिए लाए गए वस्त्र देता है, जिन्हें पहनने के बाद वर–वधू को एक साथ बैठा दिया जाता है। घर के सभी लोग वर–वधू को आशीर्वाद देते हैं। वर आशीर्वाद लेने के साथ ही

कुछ परिवार आज के समाज से इतने अधिक प्रभावित हैं कि वे सामान्य प्रचलित हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार विवाह करने लगे हैं। कन्तोली गांव में रहने वाली लीला देवी बड़े गर्व से बताती है कि उन्होंने अपनी बेटी का "कन्यादान" किया है।

जन्म :

पूर्व में नवजात शिशु के पैदा होने पर स्वयं गर्भवती महिला या घर की अन्य महिला प्रसव करवाती थी व नाल काटने के लिए हसिंया/ऑसी (घास काटने का औजार) का उपयोग करती थी। बच्चे के जन्म के पश्चात् महिला व बच्चे को गोठ में (गौशाला) में रखा जाता था व महिला 10 दिन बाद ही उस कमरे से बाहर निकलती व स्नान करती थी। बच्चे को किसी को दिखाने का रिवाज नहीं था। नामकरण की कोई परम्परा नहीं थी। बहुत समय पश्चात बच्चे का नाम रखा जाता था। यह इसलिए करते थे, क्योंकि बच्चे जन्म के कुछ समय बाद ही मर जाते थे। 10 दिन बाद सभी रिश्तेदार बच्चे को आशीर्वाद देने जाते व अच्छा तरूड़ खोदने वाला बनने का आशीर्वाद देते थे।

शोध–सर्वेक्षण से पता चलता है कि मृत्यु दर अधिक होने के अनेक कारण है :–

- जनसंख्या कम होने की वजह से प्रायः नजदीकी खून के रिश्तों में शादी हो जाने से बच्चे कमजोर या मृत पैदा होते हैं।
- प्रसव के दौरान व बाद में साफ–सफाई के अभाव में संक्रमण के कारण बच्चे रोग ग्रस्त हो जाते हैं ।
- पर्याप्त मात्रा में बच्चे को माँ का दूध न मिलने से नवजात शिशु बच नहीं पाते है।

मृत्यु से सम्बन्धित रीति–रिवाज :

परिवार में यदि किसी की मृत्यु होती थी तो पूर्व के रिवाज के अनुसार उस परिवार के लोग उस मकान की छत को तोड़कर अन्य स्थान पर चले जाते थे। उनका मानना था कि मृत्यु वाला घर अशुद्ध हो जाता है व डर की भावना भी रहती थी। पूर्व में यह जाति झोपड़ियों में या गुफाओं में रहती थी पर बाद में सरकार द्वारा पक्के घर बनाने हेतु सहायता प्रदान की गई। सन् 1993 तक भी ऐसे कई घर देखे गए, जिनको वीरान छोड़ दिया गया था।

वर्तमान में मृत्यु के पश्चात् शादी–शुदा व्यक्ति को जलाया जाता है व बच्चों एव अविवाहित को दफनाया जाता है। जहां पर चिता या कब्र होती है, उस स्थान पर उपयोग की जाने वाली वस्तुए जैसे– बर्तन, कुदाल, दराती, कुल्हाड़ी आदि रखते है। शव के अन्तिम संस्कार के बाद सभी लोग मिलकर मक्का या मोटा अनाज खाने का रिवाज है।

आखेट / शिकार :

जनजाति स्वाभाविक रूप से आखेट की कला में पारंगत होते हैं। वनराजी भी इस कला में पारंगत है। ये लोग मछली व सेही का मुख्यतया आखेट करते है, ये इनका पसंदीदा शिकार है। शिकार करने के लिए ये अपने ही द्वारा बनाये गए लकड़ी के औजारों या पत्थरों का प्रयोग करते हैं। ये पम्परागत तरीके आज भी दिखाई देते हैं।

वर्तमान में अन्य तरीके भी इस्तेमाल किये जा रहे हैं। मछली पकड़ने के लिए जाल का प्रयोग करने लगे हैं।

विशेष :

- अन्य जनजातियों से भिन्न राजी जनजाति में शराब का प्रचलन नहीं था।
- व्यवहार में राजसीपन दिखाई देता है।

समय की मांग व बाजार के विस्तार ने वनरौतों को स्वावलम्बी, निडर, आत्मविश्वासी व प्रकृति भक्त से पराश्रित, शराब सेवन का आदी बना दिया है और अब यह विकसित कहे जाने वाले समाज में असहज और कर्म कांड के चक्र में फंस गए हैं।

सरल, निश्छल व सरल प्रकृति के इन लोगों के साथ इनकी अपनी समझ व सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश के अनुरूप, अर्पण संस्था ने राजी समुदाय का विश्वास पाने के पश्चात् तय किया कि बदलती परिस्थितियों में जनजाति समुदाय को नये वातावरण व परिवेश में डालने और उनके अस्तित्व की लड़ाई में रणनीतिक तरीके से सहयोग प्रदान करेगी। हस्तक्षेप मुख्यतः दो स्तरों में किया जा रहा है– आजीविका व अधिकार आधारित मुद्दे। सामाजिक परिर्वतन एक लम्बी प्रक्रिया का परिणाम होता है, जिसमें बहुत उतार–चढ़ाव आते हैं और इसका आकलन करना भी कठिन होता है। कभी एक कदम आगे बढ़ते हैं तो कभी दो कदम पीछे भी जाना पड़ता है।

हस्तक्षेप के पश्चात् राजी जनजाति में आए कुछ परिवर्तनों को संयुक्त प्रयास के रूप में प्रलेखित किया गया है ।

आजीविका :

सीमित संसाधन, बदलते समय व बाजार पर निर्भरता ने दो जून की रोटी के संघर्ष को और अधिक कठोर बना दिया है। एक समय था जब अधिकांश वनराजी परिवार साहूकार या अन्य गॉव के लोगों के कर्ज में डूबे रहते थे। 2006 से पूर्व तक ऐसे कई परिवार थे जो वर्षों से रू 500 तक का कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। बचत करने की आदत नहीं थी, वह "आज" पर जीवित रहते थे। वनरौत का अर्थोपार्जन पहले की तरह अब भी वनों पर आधारित है। वह वनों से प्राप्त होने वाले कन्द मूल फलों और लकड़ी एकत्र कर, उसे स्थानीय बाजार में बेचकर अथवा दैनिक मजदूरी कर अपना भरण पोषण करते हैं पर उनके जीवनयांपन के तौर–तरीको में काफी परिवर्तन आ गया है। **प्रस्तुत हैं कुछ अनुभव :–**

गणागांव में निवास करने वाली महिला आनी देवी (51 वर्ष) एकल जीवन व्यतीत कर रही है। राजी परम्परा के अनुसार पुत्र का विवाह हो जाने के बाद वह अपने माता–पिता से अलग रहता है। आनी देवी ने 40–42 वर्ष की

उम्र में अपने पति को खो दिया था। पति की मुत्यु के बाद इनका आर्थिक संकट और भी गहरा गया। कभी–कभी तो इनको भोजन भी नसीब नहीं हो पाता था।

वर्ष 2006 में संस्था द्वारा ग्राम सम्पर्क कर लोगों को बचत समूह निर्माण हेतु प्रेरित किया। यह समूह गांव में ही बनते हैं, महिलाऐं प्रति माह रू 10–20 जमा करती हैं व जरूरत पड़ने पर कम ब्याज पर ऋण लेती हैं। आनी देवी भी स्वयं सहायता समूह की सदस्य बनी व दैनिक मजदूरी को समूह बचत में जमा करने लगी। धीरे–धीरे परिवर्तन आया और उन्होनें समूह से बकरी पालन के लिए प्रथम बार रू 1000 का ऋण लिया। बकरी लेने के 3 माह बाद ही बकरी ने दो मैमनों को जन्म दिया। कुछ समय बाद बकरी बेच उन्होंने लगभग रू 2000 का लाभ कमाया तथा साल भर के अन्दर ब्याज सहित ऋण वापस कर दिया। वर्तमान में वह अपने पुत्र के सहयोग से बकरी पालन कर रही है और उनके पास 7 बकरीयां हैं, यानी की लगभग रू. 12000 की पूंजी। आज आनी देवी के परिवार की सामाजीक–आर्थिक स्तिथि में गुणात्मक सुधार नजर आता है।

कुलेख गाव में रहने वाली **खीमा देवी** का परिवार क्षेत्र में निवास कर रहे राजपूतों के खेतों में मजदूरी करने के उद्देश्य से ग्राम औलतड़ी से आया था। आर्थिक रूप से कमजोर इस परिवार में कुल पांच सदस्य थे। परिवार के भरण–पोषण के लिए पति–पत्नी खेतों में मजदूरी करते परन्तु आर्थिक संकट हमेशा बना रहता।

वर्ष 2006 में अर्पण के कार्यकर्ताओं द्वारा समूह के फायदों को बताया जा रहा था, जिससे प्रेरित होकर खीमा देवी समूह से जुड़ी व बचत करने लगी।

कुछ समय बाद ही उसने बकरी पालन हेतु रू 2000 का ऋण बचत समूह से लिया व एक बकरी पाल ली। जल्द ही उसके पास तीन बकरियां हो गयी। एक दिन जब खीमा देवी की बकरियां जंगल में चरने गयी थी, उनमें से एक बकरी पहाड़ी से फिसलकर मर गयी। खीमा को बहुत दुख हुआ और वह सोचने लगी कि नुकसान की भरपाई कैसे की जाए। उसने बकरी के मांस को 200 रू प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया। कुल 8 किलो मीट निकला, खीमा कहती है चाहे उसे बकरी का नुकसान हुआ पर पूरे पैसे वसूल हो गए।

खीमा के पति की मृत्यु हो चुकी है। सारे परिवार की जिम्मेदारी उसकी है, पर खीमा का कहना है कि वह अपने परिवार का भरण–पोषण कर सकती है। आज उसके पास एक बकरी व एक गाय है तथा वह दैनिक मजदूरी करती है।

कौशल्या देवी "मानवती स्वयं सहायता समूह" की सदस्य है, जो चिफलतरा गॉव में निवास कर रही है। कुछ वर्ष पूर्व इनके पति की मृत्यु हो गई थी। उनके पति चाहते थे कि उनके गॉव में सब्जी उत्पादन हेतु एक नर्सरी बने। कौशल्या उनके सपनों को पूरा करना चाहती थी। उसने एक दिन समूह की बैठक में इस बात की चर्चा की। वहां पर उपस्थित अन्य सदस्यों ने भी इस सुझाव पर रूचि दिखाई।

समूह की बातों को सुनकर व उनकी आवश्यकता के आधार पर अर्पण के माध्यम से समूह के लोगों को कृषि प्रशिक्षण दिया गया। समूह के चार सदस्यों ने मिलकर एक नर्सरी बनाई, जिसमें आलू तथा हरी सब्जी का उत्पादन किया। अच्छी पैदावार होने पर समूह के सदस्यों ने इसे बाजार में

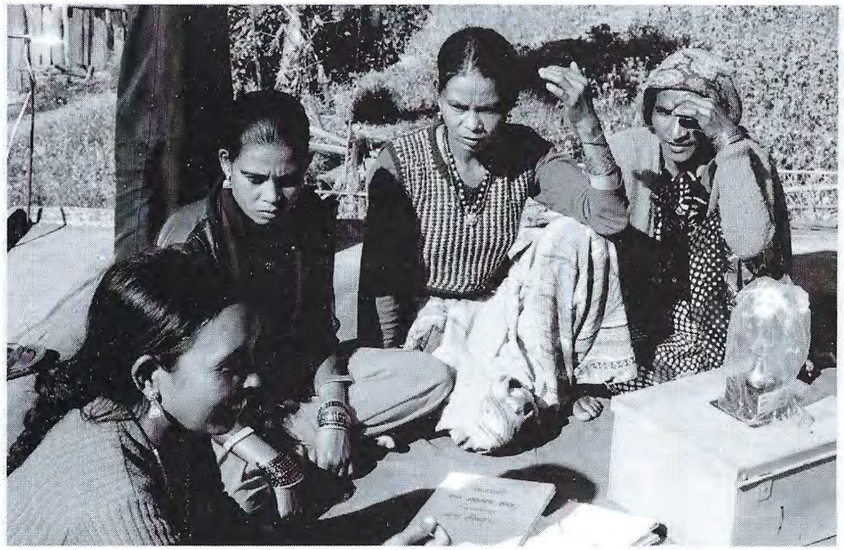

बेचकर लाभ प्राप्त किया। गांव में ही सब्जी उत्पादन से लोगों को ताजी व सही दाम में सब्जी मिलने लगी। वर्तमान में चारों सदस्य सब्जी उत्पादन करते हैं परन्तु जंगली जानवरों द्वारा किये जाने वाले नुकसान से परेशान है। समूह के सदस्य ऐसी खेती करना चाहते है जिसमें कम नुकसान हो।

प्रताप सिंह अपनी पत्नी **मानवती** के साथ ग्राम चिफलतरा में रहते हैं। प्रताप सिंह को लकड़ी का कार्य विरासत में मिला है। इसी काम के कारण ही उसके परिवार की रोजी चलती है। पूर्व में उसके घर की हालात ठीक नहीं थी। घर की अवस्था काफी जीर्ण–क्षीर्ण थी। मानवती समूह से जुड़ी तो उसने अपनी गृह स्थिति में परिवर्तन के लिए समूह से रू 1000 ऋण लिया। प्रताप सिंह भी समूह बैठकों में आते व मानवती को प्रोत्साहित करते। सब्जी उत्पादन, दैनिक मजदूरी व पशुपालन द्वारा मानवती ने दस माह में ऋण वापस कर दिया।

वनराजी समुदाय के कौशल सुधार के लिए परियोजना के दौरान अर्पण द्वारा बढ़ई गिरी का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें प्रताप सिंह ने भी प्रतिभाग किया और इसकी बारीकियों को जाना। प्रशिक्षण के बाद ऋण लेकर उसने कुछ औजार खरीदे और अपने कार्य में सुधार किया।

इन्द्रा आवास से प्राप्त लाभ से बनाये जा रहे अपने घर में उसने बढ़ईगिरी का कार्य स्वयं किया। उसके कार्य में काफी सफाई आ चुकी है। गांव वाले

जो उसके घर के पास से गुजरते, उसके कार्य की प्रशंसा करते। इस प्रकार गांव में उसे इस कार्य हेतु बुलाया जाने लगा। आज गांव में उसके कार्य की काफी मांग है।

शिक्षा का स्तर व हो रहे प्रयास

राजी समुदाय का शैक्षिक स्तर बहुत कम है, इसका मुख्य कारण इनका दूरस्थ वन क्षेत्रों में रहना है। कस्बों तथा शहरी क्षेत्र से इनके गॉव की दूरी अधिक है और वहॉ पर स्कूल नहीं हैं अथवा हैं भी, तो शिक्षकों की कमी से जूझ रहे है। और अधिकांश विद्यालय एक ही अध्यापक के माध्यम से चल रहे हैं। निगरानी न होने के कारण इनकी दशा और दयनीय हो चुकी है। विद्यालय भवनों की हालत भी खस्ता हो चुकी है।

गांव औलतड़ी में भी यह समस्या रही है। गांव स्थानीय बाजार से लगभग 5 किमी. दूर है। गाव में एक प्राथमिक विद्यालय चल रहा था, जो कि अत्यन्त दयनीय अवस्था में था। बच्चे एक गौशाला सरीखे कमरे में पढ़ने को विवश थे, जो किसी

भी समय किसी दुर्घटना का कारण बन सकता था। विद्यालय में नियुक्त अध्यापिका ने अपने स्थान पर गांव की एक अन्य महिला को मात्र 1000 रू0 में रखा था। औलतड़ी में समूह निर्माण करने के बाद वहां की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली गई तो यह स्थिति सामने आयी। इस विषय पर समूह बैठक में चर्चा की गयी, इस पर समूह अध्यक्षा देवकी देवी, जो नेता जी के नाम से भी जानी जाती हैं, ने कहा इस विषय पर हम आगामी बैठक में ग्राम प्रधान से बात

ग्राम बैठक में देवकी देवी के नेतृत्व में भूमि अधिकार मंच के सदस्यों ने इस समस्या को ग्राम प्रधान के सामने रखा। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए ग्राम प्रधान ने एक पत्र समाज कल्याण विभाग को लिखा। प्रधान द्वारा अग्रसारित पत्र को लेकर देवकी देवी व भूमि अधिकार मंच के सदस्य अगले दिन जिला समाज कल्याण कार्यालय पिथौरागढ़ में अधिकारी से मिले व उन्हें इस समस्या को विस्तार से बताया। कुछ समय पश्चात् ही समाज कल्याण विभाग द्वारा विद्यालय निर्माण कार्य हेतु धन आवंटित किया गया।

वर्तमान में विद्यालय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अपने इस प्रयास की सफलता से भूमि अधिकार मंच के सदस्यों का कहना है कि सरकारी विभाग में जाने व बात करने से उनका आत्मविश्वास पहले से दोगुना हो गया है।

कहते है मनुष्य में अगर इच्छाशक्ति और लगन हो तो वो क्या नहीं कर सकता। राजी समुदाय में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लगन व मेहनत से शिक्षा हासिल की है। ग्राम किमखोला निवासी जय सिंह प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने बलबूते उच्च शिक्षा हासिल की व वर्तमान में शिक्षक के पद पर कार्यरत है। शिक्षा के ही क्षेत्र में राजियों में आजकल एक नाम और जुड़ गया है वो है एक वनराजी लड़की मंजू का।

मंजू ग्राम कन्तोली में रहने वाली एक गरीब वनराजी परिवार की लड़की है। मंजू का गॉव कन्तोली, सड़क मार्ग से लगभग 3 किमी0 की दूरी पर स्थित है। पहाड़ी मार्ग व पथरीली भूमि पर बसा यह गांव आधुनिक सुविधाओं से काफी दूर है। यहॉ के लोग दैनिक जरूरतों तथा शिक्षा के लिए जौलजीबी पर निर्भर है, जो लगभग 5 किमी की दूरी पर स्थित है।

मंजू के परिवार में 5 सदस्य है, उसके माता–पिता, 2 भाई और वह स्वयं। उसके माता–पिता दैनिक मजदूरी, बकरी व मुर्गी पालन कर अपने परिवार का भरण–पोषण करते हैं। घर की जरूरतें केवल मजदूरी पर निर्भर थी ऐसे में 3 बच्चों की शिक्षा का भार वहन कर पाना उनके लिए कठिन था। इसी दौरान अर्पण द्वारा कन्तोली में बालबाड़ी खोली गई, जिसमें बच्चों को खेल के माध्यम से सीखने–सीखाने का प्रयास किया जाता था। जब बच्चे 6 वर्ष के हुए, उन्हें पास के प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

महिलायें भी बच्चों के साथ आती व रूची लेने लगीं। इसी जुड़ाव के चलते समूह का गठन हुआ। शिक्षा पर समूह में नित्य चर्चा होती। मंजू की मां, भागीरथी देवी, जो समूह की सदस्या थी, संस्था कार्यकर्ताओं से बहुत

प्रेरित हुई। उनका कहना था कि वो भी अपनी बेटी को एक शिक्षिका बनाय ेगी। मंजू के लिए संस्था से आयी दीदीयां प्रेरणा का स्रोत बन गईं।

समय गुजरा और समूह के माध्यम् से भागीरथी देवी ने मुर्गी व बकरी पालन के लिए ऋण लिया, जिससे उनकी आजीविका में सुधार आया। मंजू पढ़ाई में ठीक थी, अतः उसके भविष्य को देखते हुए उसके माता–पिता ने उसका प्रवेश जनजाति आवासीय विद्यालय बलुवाकोट में करवा दिया। मंजू ने अपने माता–पिता के संघर्ष को 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर सफलता में बदल दिया। उसकी इस सफलता ने उसके परिवार को ही नहीं वरन् उसके समाज को भी गौरवान्वित किया है। आज वो राजकीय इन्टर कालेज जौलजीवी में कक्षा 12 की छात्रा है। उसके अपने भविष्य के लिए अनेक सपने देखे हैं। वह अपनी जनजाति के उत्थान के लिए शिक्षा के महत्व को समझती है।

कुलेख में रहने वाली हिमानी ने वर्ष 2011 की हाईस्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। हिमानी के माता–पिता, दीपा देवी व जगत सिंह, दैनिक मजदूरी करते हैं। चिरान का कार्य मुख्य है, जिसे दोनों पति–पत्नी एक दूसरे के सहयोग से करते हैं। उनका परिवार कार्य की तलाश में औलतड़ी से य हां आकर बसा है। हिमानी का मानना है कि उसकी शिक्षा का श्रेय उसके माता–पिता की कड़ी मेहनत को जाता है। साथ ही संस्था काय ेकर्ताओं की प्रेरणा व उसके जीजाजी, जो अभी शिक्षक के पद पर है, का मार्गदर्शन मुख्य है।

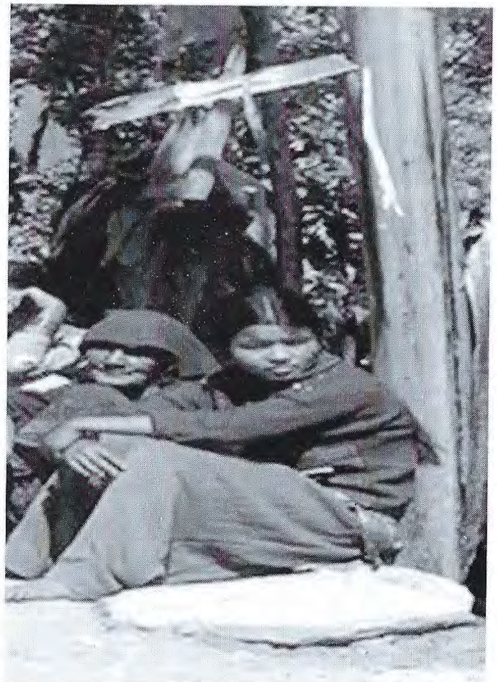

स्वास्थ्य की स्थिति एवं आ रहे बदलाव :

वनराजी ग्रामों के अत्यन्त दूरस्थ होने के कारण स्वास्थ्य समस्याएं रहती है। पारम्परिक जड़ी–बूटियों का ज्ञान होने से यह लोग छोटी–छोटी बीमारी का उपचार स्वयं कर लेते हैं परन्तु गम्भीर बीमारी हो जाने पर व समय पर उचित ईलाज न मिलने से जान से भी हाथ धोना पड़ा है। प्रस्तुत हैं कुछ घटनाऐं व समुदाय के प्रयास जो सरायनीय हैं :–

ग्राम किमखोला का तोक भक्तिरवा सड़क मार्ग से 5 किमी. की दूरी पर स्थित है। हरीना देवी यहां अपने परिवार के साथ निवास करती है। उसके परिवार में उाकस पति एवं 5 बच्चे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर इस परिवार की रोजी–रोटी दैनिक मजदूरी से चलती है।

हरीना जब पांचवी बार पुनः गर्भवती हुई तो आशा कार्यकर्त्ती की निगरानी में उसने टीकाकरण करवाया। गरीबी के कारण गर्भावस्था के अन्तिम दिनों तक भी वह कार्य करती रही। सड़क मार्ग से रोज का लगभग 10 किमी. चलना उसकी मजबूरी थी। गर्भावस्थां के अन्तिम दिनों में एक दिन रात्रि में अचानक उसे दर्द उठा। रात्रि का समय होने के कारण किसी को वह मदद के लिए नहीं बुला सकी। ऐसी परिस्थिति में भी उसने हिम्मत रखी व रात्रि

इन्द्रा देवी ग्राम किमखोला की दूरस्थ गॉव में रहने वाली महिला है। जब वह 8 माह से गर्भवती थी कि अचानक एक दिन उसे प्रसव पीड़ा हुई। वह अपनी सास एवं आशा कार्यकर्ती देवकी देवी के साथ सरकारी अस्पताल धारचूला गई। जिसमें 150 रू0 उनके किराये में खर्चा हुआ। जब ये अस्पताल में पहुंचे और डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने रक्त जांच करने के लिए कहा। डेढ़ घंटे बाद खून जांच की रिपोर्ट आई। डाक्टर साहब ने आयरन की गोली देकर घर वापस भेज दिया व अन्य किसी भी प्रकार का चेकअप नहीं किया। इन्द्रा को उसी शाम को फिर दर्द उठा। दो बजे रात उसका बच्चा पैदा हो गया। उस समय उसके साथ गांव की दाई लीला देवी थी। उन्होने पूरी सावधानियों के साथ काम किया व नाल ब्लेड से काटा। लीला देवी का कहना था कि अर्पण द्वारा दिये गये दायी किट एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षण लाभ मिला है व एक आत्मविश्वास भी आया है।

विमला देवी ग्राम किमखोला की रहने वाली 25 वर्षीय महिला है। गर्भावस्था के आठवें महीने में उसकी तबीयत खराब हुई। उसी समय में भाग्यवश किमखोला में एक स्वास्थ्य कैम्प लगा था। विमला की जॉच डाक्टर द्वारा की गई। स्वास्थ्य ज्यादा खराब होने के कारण डॉक्टर साहब उसे

अपनी गाड़ी में पी0एच0सी0 धारचूला ले गए व भर्ती करावाय ा। इलाज के दौरान स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों ने विमला के पति से कहा कि या तो दवाई ले आओ, नहीं तो 1000 रू0 जमा कर दो।

हरीना, विमला व इन्द्रा की आप बीती सुनकर इन्हीं क्षेत्रों में निवास कर रही पुष्पा व विमला, जो गर्भवती थीं, अपने भविष्य के लिए चिन्ताग्रस्त थीं और उन्होंने इन सभी समस्याओं को बैठक में रखा। सभी ने इस समस्या को गंभीरता से लिया व समस्या से मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अवगत कराया तथा साथ ही दूरस्थ स्थानों के लिए मरीजों को चिकित्सालय पहुंचाने हेतु डोली की मांग भी की। जिस पर मुख्य चिकित्साधिकारी ने तुरन्त कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

शीघ्र ही धारचूला के चिकित्साधिकारी ने किमखोला क्षेत्र का स्वयं निरीक्षण किया व महिलाओं से पूछताछ की। वर्तमान में क्षेत्र में नियमित रूप से शिविर लगाये जाते है, ए.एन.एम. भी नियमित आती है व टीकाकरण ा सही समय पर हो रहा है।

कलावती देवी भागालिंग स्वयं सहायता समूह कुलेख की सदस्य है। उसकी बहन लीला देवी ग्राम कन्तोली भगवती समूह की सदस्य है। वह बहुत समय से मोतिया बिन्द से पीड़ित थी। दोनों आंखों में मोतियाबिन्द होने के कारण इनकी आंखो की ज्योति चली गई। कई बार डॉक्टर के पास जाने पर भी इनके आंखों का सही उपचार नहीं हो पा रहा था। डॉक्टरों का कहना था कि इसका एकमात्र इलाज ऑपरेशन है। एक दिन कलावती अपनी बहन से मिलने कन्तोली गई, उसकी दशा और व्यथा सुनकर विचलित हो गई। उसने मन में ठाना की उसे कुछ करना चाहिए और उसने निर्णय लिया कि वह अपनी बहन को लेकर जिला अस्पताल पिथौरागढ़ जाएगी। वह वापस अपने घर कुलेख अपनी बहन लीला को साथ लेकर आई।

कलावती का कहना है अर्पण के माध्यम से इधर–उधर जाने, लोगों से मिलने व बातें करने के कारण उसमें आत्मविश्वास आया है, जिससे उसमें उन महिलाओं की मदद करने के लिए प्रेरित किया।

लीला देवी पत्नी भगवान सिंह निवासी ग्राम कुलेख वनराजी जनजाति से है तथा कुलेख समूह की सदस्य है। समूह की बैठक में स्वास्थ विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजना की जानकारी समय–समय पर दी जाती है। अपनी गर्भावस्था के दौरान उसने इन योजनाओं से लाभ उठाने की इच्छा जताई। समूह बैठक में संस्था कार्यकर्ती द्वारा लीला को जननी सुरक्षा योजना की जानकारी दी गई तथा क्षेत्रीय स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ती ऊषा से मिलवाया। ऊषा ने इस बारे में लीला को पूरी जानकारी दी। लीला देवी को गर्भावस्था के दिनों में लगने वाले टीकों से परिचित करवाया व समय–समय पर टीकाकरण के लिए स्वास्थ विभाग ले गई।

प्रसव काल में लीला का महिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ में पंजीकरण करवाया गया, जहां पर लीला देवी ने एक स्वस्थ कन्या को जन्म दिया। लीला देवी व ऊषा ने सी0एम0ओ0 ऑफिस से प्रमाणपत्र प्राप्त कर रू0 1400 तथा रु. 600 के चैक क्रमशः प्राप्त किए। इस प्राप्त धन से उसने कपड़े तथा नाक की लौंग खरीदी।

भूमि पर अधिकार का संघर्ष

वनराजियों की प्रवृति रही है कि ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते रहते हैं। इनके कुछ गांव नेपाल में भी हैं और यहां इनका आना–जाना लगा रहता है। अपने रिवाज के अनुसार भी इनकी ये परम्परा रही है कि ये उस स्थान को छोड़ देते थे जिस स्थान में इनके परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो। पूर्व में भक्तिरवा में निवास करने वाले परिवारों ने अपने पूर्वजों की मृत्यु के बाद उस स्थान को छोड़ दिया था और वर्ष 2003 में पुनः भक्तिरवा में आकर रहने लगे। उस समय में माओवादियों के कारण सीमा क्षेत्र में सतर्कता, संवेदनशीलता अधिक थी, इसलिए इस बात पर विवाद उत्पन्न हो गया। लोगों ने समुदाय को शक की दृष्टि से देखा व इन्हें नेपाली नागरिक कहा गया। भक्तिरवा के एकजुट हुए ग्रामवासियों ने ग्राम की समस्या के विषय में स्थानीय विधायक से बात करने के साथ एक ज्ञापन जौलजीबी मेले के उद्घाटन में आये उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष श्री हरवंश कपूर को दिया, जिसके परिणाम स्वरूप निरीक्षण टीम द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में इन्हें भारतीय होने का प्रमाण दिया गया।

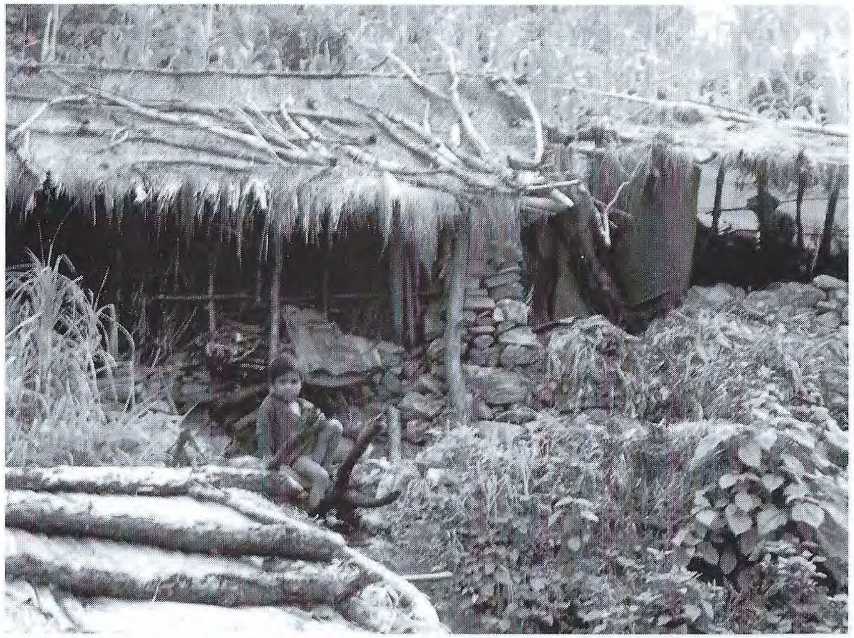

औलतड़ी एक राजस्व गांव है, जो ग्रामसभा डांगटी के अन्तर्गत स्थित है। यह वनों के बीच बसा हुआ अति दूरस्थ गांव है। यहां पर निवास करने वाले राजी परिवारों को 70 के दशक में सरकार द्वारा भूमि आवंटित की गई थी। लगभग दो पीढ़ी पूर्व तीन भाईयों को 68 नाली भूमि, वन क्षेत्र में आवंटित हुई थी। समय बीतने के साथ–साथ परिवार बढ़ते गए और यह भूमि बंट गई। राजीयों में एकल परिवार की प्रथा है, अतः प्रति परिवार भूमि कम होती गई।

10 वर्ष पूर्व औलतड़ी से 8 परिवार कुलेख गांव में आकर रहने लगे। उस गांव के राजपूत परिवारों ने राजी परिवार को अपने खेतों में कार्य पर लगाया व अपनी जमीन पर रहने की इजाजत दी। राजी परिवारों ने उस बंजर, पथरीली भूमि को समतल कर खेती करने व रहने योग्य बनाया। यहां की खेती वर्षा पर आधारित है।

वर्तमान में यहां पर आठ परिवार, जिनकी जनसंख्या कुल 34 व्यक्ति है, रहते हैं। ये लोग औलतड़ी और कुलेख के बीच आते–जाते रहते हैं। तीन परिवारों ने 8 मुट्ठी भूमि राजपूतों से 6000 से 7000 रूपये में अनुबन्ध पत्र द्वारा खरीद ली थी। राजी परिवारों को इसका ज्ञान नहीं था कि ये अनुबन्ध पत्र केवल छः माह तक के लिए वैध होते हैं।

केसर सिंह के परिवार में कुल छः लोग है– उसकी पत्नी व चार बच्चे। एक पुत्री का विवाह हो चुका है और तीन लड़के उसके साथ रहते हैं। केसर सिंह का कहना है कि जिस भूमि पर वो निवास करते हैं उससे उन्हे कभी भी बेदखल किया जा सकता है। क्योंकि ये भूमि उनके नाम नहीं है। वर्तमान में इन्द्रा आवास, पानी, बिजली की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। कुलेख की बाजार से निकटता की सुविधाऐं प्राप्त हो रही है। परन्तु मन में एक भय है कि, किसी दिन भी इस स्थान को छोड़ने के लिए कहा जा सकता है।

कानूनी प्रशिक्षण के दौरान भूमि अधिकारों से संबन्धित जानकारीयां दी गई। विशेषज्ञों ने प्रश्नों के उत्तर में सलाह दी कि जो जमीन स्टाम्प पेपर में खरीदी गई है, उसे बेचने वाले से दान नामा लिखवायें अथवा अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा लें। इस जानकारी के पश्चात रजबार प्रेमसिंह, जमीन के विक्रेता से मिले और जमीन को राजी समुदाय के नाम पर करने के लिए कहा, लेकिन विक्रेता ने और रूपये की मांग की है। यह राजी समुदाय की क्षमता से बाहर है।

औलतड़ी में निवास कर रहे कुल 7 वनराजी परिवारों में से 4 परिवारों के नाम पर ही जमीन है। वर्तमान में 2 परिवार जिनके नाम पर भूमि है, वह कुलेख में निवास कर रहे हैं। कुल 67.13 नाली जमीन मे विवाद है। वर्तमान में ये सभी परिवार बेनाप भूमि में निवास कर रहे हैं। इस भूमि में इनका विवाद आज भी है और ये इस पर हक चाहते है। इस भूमि का उपयोग यह कृषि भूमि के रूप में करना चाहते हैं।

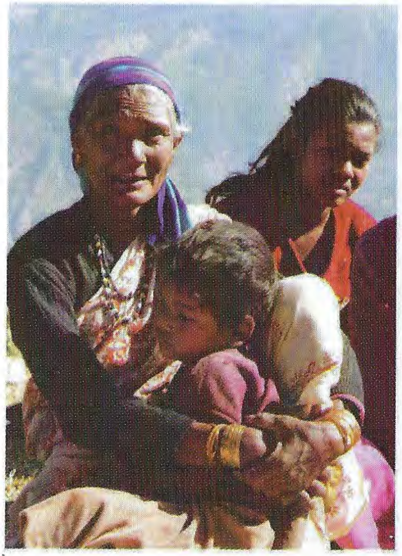

देवकी देवी 62 वर्ष की राजी महिला है जो ग्राम औलतड़ी में निवास करती है। उसमें अदभूत नेवृत्व क्षमता है। समूह बैठकों का आयोजन करना व हर एक को सहयोग करना उनकी खूबी है, इसी कारण ग्रामवासी उनकी काफी इज्जत

करते हैं और उनके द्वारा कही बातों को ध्यान से सुनते है। वह भूमि अधिकार मंच की मुख्य सदस्य है। उनमें किसी विषय में सोचने व समझने की क्षमता गजब की है। उसके परिवार की नाप भूमि विवादित है। भूमि अधिकार को लेकर एक कार्यशाला में उन्होनें भी अपनी विवादित भूमि की समस्या को रख ा। उन्हे उपाय बताया गया कि यदि वो उनका स्वयं का खेत है व नाप भूमि है तो उस पर कुछ भी कर सकते हो। वैसे भी जनजाति की भूमि पर केवल जनजाति का ही हक है।

देवकी को ये बात समझ में आ गयी ,उसने घर जाकर सबको इस विषय में बताया व खेत खोदने लगी। आश्चर्य था कि इस बार उसे किसी ने नहीं रोका। परन्तु देवकी का मानना था कि इस बात का समाधान होना ही चाहिए, क्योंकि यह विवाद पुनः हो सकता है। अतः वह अन्य हकदारों के साथ डीडीहाट तहसील गयी व उपजिलाधिकारी से मिली और समस्या को विस्तार से बताया। इसके बाद जिलाधिकारी ने क्षेत्र निरीक्षण का आदेश ा कानूनगो को दिया और आश्वासन दिया है कि जिसका हक है, उसे ही प्राप्त होगा।

शोषण के विरूद्ध

पिथौरागढ़ जिले के कनालीछीना ब्लाक में स्थित वनराजी गांव कुलेख है, जहां पर 8 वनराजी परिवार निवास करते हैं। ये परिवार कार्य की तलाश हेतु औलतड़ी से पलायन कर यहां आये हैं। पूर्व में कुछ गैर जनजाति परिवारों ने इन्हें यहां रहने का स्थान व अपने खेतों में मजदूरी करने के एवज में दिया ताकि औलतड़ी से आने–जाने में समय नष्ट न हो। वर्तमान में वनराजी परिवारों को यहां रहते हुए लगभग 10–12 साल हो चुके हैं। कुछ परिवारों ने भूमि स्टाम्प पेपर में खरीद ली थी व इन्द्रा आवास का निर्माण भी कर लिया है। जबकि वे भली–भॉति जानते हैं कि इस भूमि मे रहना गैर कानूनी है, पर उन्हें विश्वास है कि इस जमीन से उन्हें जाने के लिए कोई नहीं कहेगा। जब 2006 में इस गांव में समूह का गठन हुआ और समूह मे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती व अधिकारों की जानकारी दी जाती, समूह के सदस्य बातों को ध्यान से सुनते।

समूह की अध्यक्षा व भूमि अधिकार मंच की सदस्या कलावती में अधिकारों के विषय में जानकारी होने से काफी परिवर्तन आया है। बैठकों में प्रतिभाग करने व विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करने से बाहरी दुनिया से परिचय ने उसे और भी आत्मविश्वासी बना दिया है।

एक दिन की बात है जब कलावती अपने खेत में काम कर रही थी, उसने देखा कि उसका पड़ोसी रोज की भांति चिल्ला रहा था। वह नशे में था, ऐसा लगभग रोज ही होता था। कोई न कोई नशे में आता, गाली देता व लड़कियों / महिलाओं के साथ गलत हरकतें करता। सभी लोग, खास कर महिलाएं एवं लड़कियां इन सबसे परेशान थी। अतः समूह की महिलाओं ने तय किया कि इसके खिलाफ कुछ न कुछ कदम उठाना ही होगा।

वयं सहायता समूह की बैठक में राजी महिलाओं ने इस सामाजिक बुराई के खिलाफ कदम उठाने का निर्णय लिया, ताकि ऐसे लोगों को सबक सिखाया जा सके। उन्होंने सर्वप्रथम उस पड़ोसी के खिलाफ अस्कोट पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कर दी। रिपोर्ट दर्ज करने के दूसरे दिन उक्त असमाजिक व्यक्ति के घर पर पुलिस आई परन्तु उस समय वो घर पर नहीं था। अतः अगले दिन दोनों पक्षों को थाने मे बुलाया गया। पड़ोसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि राजी लोग उसके खिलाफ कोई कदम भी उठा सकते हैं।

पुलिस ने उसके कृत्य पर चेतावनी दी, उसने क्षमा मांगते हुए कहा कि वो आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेगा। इस घटना ने न सिर्फ उस व्यक्ति पर व अन्य ग्रामवासियों को भी संदेश दिया कि किसी भी प्रकार का उत्पीड़न सहन नहीं किया जाएगा।

कलावती देवी, पत्नी केसर सिंह, निवासी ग्राम कुलेख वनराजी महिला है। उसके परिवार में कुल 6 सदस्य हैं। जिसमें पति ,पत्नी व 3 पुत्र शामिल हैं, पुत्री का विवाह हो चुका है। कलावती अपने परिवार के साथ विगत कई वर्षो से कच्चे व जीर्ण–क्षीण हो चुके मकान में रह रही है। यह घर परिवार के सदस्यों के लिए छोटा था।

कलावती देवी भागलिंग स्वयं सहायता समूह की अध्यक्षा है। समूह की बैठक में एक दिन सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत इन्द्रा आवास के विषय में अर्पण कार्यकर्ता द्वारा जानकारी दी गई। इससे प्रभावित होकर उसने इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहा और स्वयं ग्राम प्रधान से मिली, इसके बाद पटवारी से मिली और तहसील से आय प्रमाण पत्र बनवाया। सभी प्रमाण पत्रों के साथ वह समाज कल्याण कार्यालय गई व सी0डी0ओ0 से प्रार्थनापत्र अग्रसारित करवाया। इस प्रक्रिया में उसे कई बार निराशा का सामना करना पड़ा, पर संस्था के सहयोग व उसके प्रयास अन्त में सफल हुए। सबसे पहले उसने 500 रूपये का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में खाता खोला। आवास के लिए पहली किस्त 12,000 रूपये चैक के जरिए मिले, जिससे उसने निर्माण कार्य प्रारम्भ किया। आधा काम होने के बाद उसे दूसरी किस्त 15,000 रूपये की मिली है। इसके पश्चात् अन्य लोगों ने भी कलावती से प्रेरित होकर इन्द्रा आवास हेतु आवेदन किया, वर्तमान में सभी परिवारों को इन्द्रा आवास आवंटित किए गए हैं।

कलावती इस प्राप्त लाभ के लिए किये गये प्रयास को बड़े गर्व से बताती है। उसका कहना है, प्रय इास किया जाय तो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है।

जहां इच्छा होती है, वहां राह भी मिल जाती है। सुनने में यह प्रयास मामूली लगे, पर राजी महिला के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है।

कलावती देवी ग्राम गाणागांव में रहने वाली राजी महिला है। उसकी दिनचर्या भी अन्य राजी महिलाओं की भांति है। सुबह जल्दी उठकर लकड़ी लेने जंगल जाना व जौलजीबी बाजार मे बेचना और जो कमाई होती है उससे अपने दैनिक रोजी का प्रबन्ध करना। गांव में ही यदि मजदूरी मिल जाय तो मजदूरी करना। अन्य परिवारों के घर गैस चूल्हे को देखती तो उसके मन में भी यह इच्छा होती कि काश! उसके पास भी गैस चूल्हा होता तो उसका तुरन्त खाना बन जाता। कई बार उसने गैस चूल्हे का दाम पूछा। कलावती को एक बैठक में जानकारी मिली कि ब्लॉक द्वारा गैस चूल्हे की सुविधा मिल रही है। उसने तुरन्त ब्लॉक जाकर आवेदन किया। उसी से प्रेरित अन्य राजी परिवारों ने भी आवेदन लगाया। जल्द ही योजना के तहत उसे गैस चूल्हा मिल गया।

जब कार्यकर्ता गांव भ्रमण में गये हुए थे, कलावती ने चाय गैस चूल्हे में तुरन्त बनाई । उसने बताया कि आज उसे काफी सुविधा हो गयी है। वह भोजन लकड़ी जलाकर ही बनाती है, पर बारिश या जल्दी में इसके प्रयोग से उसके समय की बचत होती है। कलावती व उसकी तरह अन्य महिलाओं के लिए यह केवल एक सुविधा ही नहीं, एक आरामदेय वस्तु भी है।

जानकी देवी ग्राम मदनपुरी में निवास करने वाली प्रथम राजी महिला है जो पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान के पद पर चुनी गई थी। जानकी एक बहुत ही गरीब परिवार की महिला है उसके परिवार में कुल 8 सदस्य हैं। ये दैनिक मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं।

वह मनमहेश स्वयं सहायता समूह की सदस्य है। उसका मानना है कि उसने समूह से न केवल बचत करना सीखा है बल्कि अन्य जानकारी भी प्राप्त की है, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा है। इसी आत्मविश्वास के बल पर उसने चुनाव जीता। पंचायत चुनाव के दौरान उसके समूह सदस्य तथा परिवार के सदस्यों ने उसे चुनाव में भाग लेने को प्रेरित किया था।

जानकी देवी अपनी निकटतम प्रतिद्वन्दी से 302 मतों से विजय हुई। उन्होंने अपने समुदाय के लोगों को एक अच्छी सोच रखने व मेहनती होने का परिणाम दिया। चुनाव के समय वह गर्भवती थी। जिस दिन चुनाव के परिणाम घोषित हुए, उसी दिन उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। जिसने उनकी खुशी को दो गुना बढ़ा दिया। जानकी देवी ने दोनों खुशियों का जश्न भी बड़े हर्ष से सभी लोगों के साथ मनाया।

प्रधान जानकी देवी का हमेशा यह प्रयास रहा है कि उसके क्षेत्र में मनरेगा अथवा रोजगार गारंटी योजना के तहत लोगों को काम मिले। प्रधान के प्रयास व लोगों के सहयोग से कार्य की मांग की गयी, जिसके फलस्वरूप गांव में काम आया। आज लोग इससे लाभ कमा रहे हैं।

ग्राम मदनपुरी व कूटाचौरानी में रहने वाली महिलाओं ने मनरेगा के तहत काम मिलने पर अन्य गैर–जनजाती परिवारों के यहां काम करना छोड़ दिया, क्योंकिं वहां मिल रही मजदूरी कम थी। इस इन्कार ने पहले मिलने वाली 50 रू0 मजदूरी बढ़ा कर 150 रू0 हो गई।

गांव की दूरी की वजह से मजदूर व मजदूरी आसानी से नहीं मिलती है, पर मनरेगा ने दोनों समस्याओं का हल कर दिया है।

राजी महिलायें अपनी सुविधा व इच्छा के अनुसार बिना किसी दबाव व शोक्षण के कार्य कर रही हैं। रोजगार गारन्टी व अन्य मजदूरी द्वारा राजी समुदाय अपने परिवार व बच्चों का भली–भॅाती पालन–पोषण एवं शिक्षा देने लगे है। वह अपने बच्चों के भविष्य के प्रति आशान्वित हैं।

हक की लड़ाई तब लड़ी जाती है जब अधिकारों की जानकारी हो। जब किए हुए प्रयासों से सफलता मिलती है, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। ग्राम किमखोला भारत–नेपाल सीमा पर बसा हुआ गांव है। किमखोला में वनराजि

जनजाति के लोग पीढ़ियों से रह रहे हैं। उनकी आजीविका का स्रोत वना की लकड़ी–चारा, जंगली कन्दमूल फल आदि हैं, साथ ही पालतू जानवरों का चरागाह भी वन क्षेत्र है। इन वनों से जहां इन्हें कई लाभ मिले हैं वहीं कुछ भय भी। भय उन जंगली जानवरों का, जो इनकी खेती व आजीविका के साधनों में बाधक/नुकसानदेह सिद्ध हो रहे हैं।

सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था न होने व पथरीली भूमि होने के कारण खेती उतनी नहीं हो पाती परन्तु पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। यहां निवास कर रही जनजाति परिवारों में लगभग सभी ने बकरी पालन के कार्य को अपनाया है।

फूना देवी ने अपनी आजीविका हेतु जानवर पाले हैं। उसके पास 4 बकरियां व एक भैंस है। फूना देवी ने भैंस के लिए ऋण लिया था। एक दिन रात्रि में बाघ ने हमला कर फूना देवी की भैंस को मार दिया। फूना इस घटना से परेशान हो उठी, क्योंकि उसने ऋण नहीं चुकाया था।

प्रशिक्षणों के माध्यम से दी जाने वाली जानकारी, कि वन विभाग इस प्रकार के जंगली जानवरों से हुए नुकसान पर मुआवजा देता है, फूना को याद थी। उसने तय किया कि वह अधिकारियों से मिलेगी। प्रार्थना पत्र व साक्ष्यों सहित अधिकारियों से मिली। अधिकारियों द्वारा सरकारी कार्यवाही पूर्ण करने हेतु कई दस्तावेजों की मांग की। काफी चक्कर लगाने के बाद भी जब उसे कुछ आशा नहीं दिखाई दी, तो उसने सूचना का अधिकार कानून से सूचना प्राप्त करने की सोची। फूना संगठन की सक्रिय सदस्य है। समूह बैठकों में उसे सूचना का अधिकार कानून पर जानकारी मिली थी। सूचना प्राप्त करने हेतु वन विभाग से जंगली जानवरों से हुए नुकसान पर मुआवजे के प्रावधान के विषय में जानकारी मांगी। 10 दिन के भीतर जवाब मिला व उसके खाते में दस हजार रूपये आ गये। फूना को विश्वास नहीं था कि इतनी आसानी से व इतनी जल्दी उसे मुआवजा मिल जायेगा। उसने सिर्फ सूचना का अधिकार कानून के महत्व को ही नहीं जाना बल्कि उसके आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई। फूना ने अपना सारा कर्ज चुका दिया है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत (वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

दुर्गम क्षेत्रों में निवास कर रही वनराजी जनजाति खानाबदोश होने के कारण वन क्षेत्रों में विच रण करती थी परन्तु समय के साथ उन्हें जंगलो में बसावत

मिली। 80 के दशक में जंगल में निवास कर रही इस जनजाति को सरकार ने भूमि आवंटित की, जिस भी क्षेत्र में ये बस गये थे। कुछ परिवारों को भूमि नाम पर मिली व अन्य को वन भूमि 80 वर्षो की लीज पर दी गयी। इस वनभूमि में रहते हुए इन्हें कई वर्ष हो चुके हैं।

सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर इन्होंने आवास का निमार्ण किया व भूमि को खेती योग्य बनाया। परन्तु भूमि अभी भी इनके नाम पर नहीं हो पायी है।

वर्ष 2008 में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वनजातियों में परम्परागत वन अधिनियम के लागू होने से एक उम्मीद की किरण जगी। अधिनियम की जानकारी होने के बाद कई लोग आगे आये और भूमि अधिकार मंच का गठन हुआ। अपने अधिकारों को पाने के लिए संगठन ही एक मात्र रास्ता है।

"देखने में अक्षम हूँ, विकलांग हूं पर मैं सबकुछ करने में सक्षम हूं।" ये वाक्य है पिथौरागढ़ के सीमान्त क्षेत्र ग्राम किमखोला में निवास करने वाले नेत्र सिंह के, जो राजी समुदाय का नेतृत्व करते हैं।

40 वर्षीय नेत्र सिंह अत्यन्त मेहनती व जीवट पुरूष हैं। जब वह मात्र 12 वर्ष के थे, उनके साथ एक पीड़ादायक घटना घटी, एक दिन चारा पत्ती एकत्र करने के लिए वे एक पेड़ पर चढ़े थे कि तभी पेड़ की टहनी वही पास से गुजर रहे बिजली के तारों को जा लगी जिससे नेत्र सिंह की हथेली बुरी तरह जल गयी परिणाम स्वरूप उसे काट देना पड़ा। इस हादसे ने नेत्र सिंह को तोड़ कर रख दिया। ऐसे समय में उसकी माँ सुरमति देवी ने उसे इस पीड़ा से उबरने के लिए पूर्ण सहयोग दिया और उसने भी मन पक्का कर हर कार्य को सफलता से करना शुरू कर दिया। जल्द ही उसका खोया आत्मविश्वास लौट आया। 22 वर्ष की उम्र में नेत्र का विवाह उसी के समुदाय की बसन्ती देवी से हुआ। बसन्ती एक समझदार महिला है, जो नेत्र सिंह को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती और हर तरह से उसे सहयोग करती है।

उसकी इन्ही क्षमताओं के कारण किमखोला में गठित समूह की महिलाओं ने उसे अध्यक्ष चुना है। समूह बैठकों के दौरान होने वाली चर्चा को उसकी माँ व पत्नी उसे बताती, जिससे नेत्र सिंह काफी प्रभावित हुआ व स्वयं भी बैठकों में प्रतिभाग करने लगा। इस दौरान आयोजित प्रशिक्षण व कार्यशालाओं में भी उसने प्रतिभाग किया व प्रेरित होकर इसे अपने जीवन में लागू करने लगा।

नेत्र सिंह व उसके परिवार वाले मिलकर अपने छोटे से खेत में सब्जी का उत्पादन कर स्थानीय बाजार में बेचकर लाभ कमा रहे हैं। जब उसे पॉलीहाऊस की जानकारी हुई तो उसने अपने सब्जी उत्पादन के कार्य को बढ़ाने की सोची व कृषि विभाग से सम्पर्क किया। विभाग ने औपचारिकता पूरी करने हेतु किसान बही मांगी। पर जब भूमि ही नाम पर न हो, तो कागज कहां से लाए। उसने पुनः प्रयास किया व ग्राम प्रधान से बातें की, उनके सहयोग से उसे पॉली हाऊस मिल गया, जिसको लगाने मात्र का ही खर्च रू0 500 उसने किया। वर्तमान में उसने मत्स्य पालन हेतु आवेदन किया है। नेत्र सिंह केवल अपने तक ही सीमित नहीं है उसने अपने प्रयासों को अन्य ग्रामवासियों को बताया व लाभ लेने को प्रेरित किया। वन अधिनियम 2006 का लाभ प्राप्त करने, दावे भरने की प्रक्रिया में नेत्र ने सिर्फ समुदाय को सहयोग ही नहीं किया बल्कि ब्लाक व जिला स्तर पर अधिनियम को प्रचारित करने हेतु पैरवी की। वर्तमान मे प्रयास जारी है।

उपरोक्त सफल कहानियाँ वनरौत, वनरावत या राजी जनजाती की छटपटाहट की बानगीभर हैं कि किस तरह यह आदिम कहलाने वाली जनजाति भी अन्य की तरह अपने लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य व विकास की ओर अग्रसर करने को उत्सुक है। जरूरत है उनके प्रयासों को सहयोग देने की। स्वैच्छिक संस्थायें, सरकार व जनता के बीच एक सेतु का काम कर सकती हैं। अतः आवश्यकता है एक समन्वय की, जिससे हम इस आदिम जनजाति व सभी निर्बल, गरीब व शोषित वर्ग की सभ्यता, संस्कृति, भाषा–बोली व स्वाभिमान को जीवित रखने के साथ–साथ इन्हें अफसर व कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता व वे सभी जो इन मुददों के प्रति सेवेदनशील हैं। विकास की मुख्य धारा में जोड़ सकें। सकारात्मक सहयोग सभी दे सकते है– पत्रकार/मीडिया, बुद्धिजीवी, सरकारी उपरोक्त सफल कहानीयाँ उत्तराखण्ड की एकमात्र जनजाति वनरौत, वनरावत या राजी की छटपटाहट की बयानगी भर है कि किस तरह यह आदिम जनजाति भी अन्य की तरह अपने लोगो को शिक्षा, स्वास्थ्य व विकास की उत्सुक है। पर यह सरकार की नीतियो के द्वारा ही संभव हो ऐसा नही है कि सरकार ने इस दशा में प्रयास नही किये अगर ऐसा होता तो कभी गुफाओ में निवास करने वाली यह जनजाति आज पक्के मकानो में निवास न

कर रही होती उनमें शिक्षा स्वास्थ्य एवं आगे बड़ने की इच्छाये बलवती न होती

स्वैच्छिक संस्थाये सरकार व जनता के बीच एक सेतु का काम कर सकती है। अतः आवश्यकता है एक समन्वय की जिससे हम इस आदिम जनजाति की सभ्यता संस्कृति, भाषा बोली व स्वाभिमान को जिन्दा रखने के साथ–साथ इन्हे विकास की मुख्य धारा में जोड़ सके।

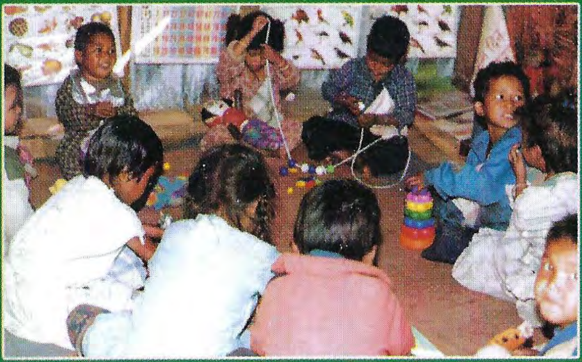

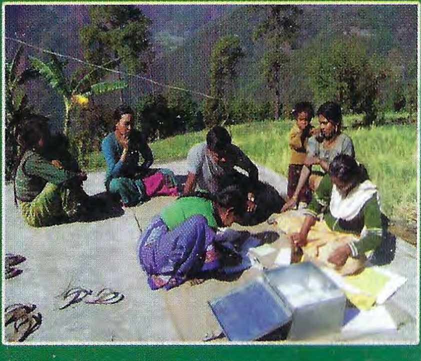

प्रकाशक : 'अर्पण', गांव–हेल्पिया, पो.–अस्कोट, पिथौरागढ़
e-mail : arpanaskot@hotmail.com
Printed By : Himal Presss, Bank Road, Siltham, Pithoragarh. # 05964-226148